



2026:AHC:54824

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 7127 वर्ष 2026**

मोन् पाठक

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: संजय कुमार दुबे

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: जी.ए.

**न्यायालय सं. - 70**

**माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य प्रतिवादी के लिए विद्वान एजीए को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. यह जमानत आवेदन आरोपी-आवेदक, मोन् पाठक की ओर से दायर किया गया है, जिसमें मुकदमा लंबित रहने के दौरान धारा 143(4) बीएनएस, पीएस-कासगंज, जिला- कासगंज के तहत मुकदमा अपराध संख्या 176 वर्ष 2025 के मामले में जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है।

*"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"*



3. प्राथमिकी में निहित आरोप के अनुसार, अज्ञात व्यक्ति ने सूचनाकर्ता के नाबालिग भतीजे का अपहरण कर लिया है, जिसकी आयु केवल चार वर्ष है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उसने कोई अपराध नहीं किया है जैसा कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है और जांच के दौरान, आईओ को दी गई झूठी जानकारी के आधार पर आरोपी-आवेदक की भूमिका सामने आई थी। उन्होंने आगे कहा कि धर्मेन्द्र @ सवेन्द्र और उनकी पत्नी ईशु देवी के बयानों में, आरोपी-आवेदक ने खुद दोनों गवाहों से कहा कि उसने गवाहों, धर्मेन्द्र और इशु देवी के नाबालिग बच्चे का अपहरण कर लिया है और इस प्रकार, आरोपी-आवेदक की भूमिका और भागीदारी दोनों गवाहों के सामने आरोपी-आवेदक द्वारा दिए गए इकबालिया बयान के आधार पर सामने आई थी और बच्चे को तेलंगाना राज्य से लगभग बरामद किया गया था। घटना के पांच महीने के बाद तिरामलेश की पत्नी ममता के कब्जे से, जिसे नाबालिग बच्चे को आरोपी आवेदक और सह-आरोपी नेहा पाठक द्वारा बेच दिया गया था, जो आरोपी आवेदक की पत्नी है, ने 4 लाख रुपये के बदले में बेच दिया था। इसके अलावा, आरोपी-आवेदक का एक मामले का आपराधिक इतिहास है, जिसे जमानत आवेदन के पैरा 18 में समझाया गया है और वह 06.09.2025 से जेल में है। इसके अलावा, विद्वान एजीए की प्रस्तुति के अनुसार, इस मामले में आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है। निवेदन यह है कि मुकदमे के निष्कर्ष में पर्याप्त समय लगेगा और जमानत पर रिहाई के मामले में उसके न्याय के रास्ते से भागने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए जमानत की मांग की गई है।

5. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने आवेदक की जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक की बेगुनाही को पूर्व परीक्षण चरण में नहीं ठहराया जा सकता है, इसलिए, वह किसी भी भोग के योग्य नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त होगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

*“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”*



6. इस प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद कि प्राथमिकी अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई थी और जांच के दौरान, आरोपी आवेदक की भूमिका अभियुक्त-आवेदक द्वारा स्वयं गवाहों, धर्मेंद्र और इशु देवी के सामने दिए गए इकबालिया बयान के आधार पर सामने आई। घटना के करीब पांच महीने बाद नाबालिग बच्चे को बरामद किया गया। इस स्तर पर, रिकॉर्ड पर कोई विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध नहीं है जो यह दिखाती हो कि आरोपी-आवेदक ने नाबालिग बच्चे को बेचने के बदले तिरामलेश की पत्नी ममता से 4 लाख रुपये की प्रतिफल राशि ली है। विद्वान एजीए की प्रस्तुति के अनुसार, इस मामले में 28.10.2025 को आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है और इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के गवाहों को डराने और दबाव डालने की कोई उचित संभावना नहीं है, आरोपी आवेदक 06.09.2025 से जेल में है और मुकदमे के समापन के संबंध में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए; भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2024 (एससी) मुकदमा 677** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पैराग्राफ संख्या 53 पर विचार करते हुए, **भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713 और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2022) 10 एससीसी 51** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक को उसके प्रस्तुत व्यक्तिगत बांड और **दो भारी जमानतदार** समान राशि में पर जमानत पर रिहा किया जाए और निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए हैं: -

- (i) आवेदक सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा या गवाहों को धमकी नहीं देगा।
- (ii) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या संबंधित न्यायालय द्वारा निर्देशित प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

**“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”**



(iv) आवेदक (i) मामले की सुनवाई के लिए, (ii) आरोप तय करने और (iii) अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्यों में प्रकट होने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उसका बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कड़ाई से कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. बांड स्वीकार करने से पहले आवेदक और जमानतदार की पहचान और निवास प्रमाण और जमानतदारों को संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति संतोषे राय)

मार्च 18, 2026

अंकित

*“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”*